न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 05/2022, जिला सीकर

1. सुरेन्द्र पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम किरडोली तहसील धोंद, जिला सीकर (राज.)
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम किरडोली, तहसील धोंद जिला सीकर (राज.)
3. भगवानाराम पुत्र श्री नारायण राम जाति जाट निवासी भूकरो का बास, तहसील धोंद जिला सीकर (राज.)
4. राजपालसिंह पुत्र मग्गाराम जाति जाट निवासी भूकरो का बास तहसील धोंद जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार धोंद, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

2. राजेन्द्र पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी भूकरों का बास तहसील धोंद जिला सीकर (राज.)
3. श्रीधर सिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी भूकरों का बास तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)
4. अविनाश ढाका पुत्र श्रीधर ढाका जाति जाट
5. राजकुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भूकरों का बास तहसील धोंद जिला सीकर (राज.)

—प्रोफार्मा—रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर दिनांक 22.10.2021 उनवानी राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार धोंद बनाम सुरेन्द्र व अन्य प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/शिविर/2021/295 बाबत् भूमि खसरा नं. 831 व 942/832 ग्राम भूकरों का बास तहसील धोंद जिला सीकर राज0।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट नं. 1 से 4 की ओर से श्री हरलाल सिंह।
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 से 5 की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक।

निर्णय

दिनांक —13.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 06.01.2022 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

तहसीलदार धोंद, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 22.10.2021 के द्वारा ग्राम भूकरों का बास तहसील धोंद के ख.नं. 831, 942/832 कुल किता 02 ग्राम भूकरों का बास पटवार भढाढर के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर को भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी धोंद ने तहसीलदार धोंद जिला सीकर से अभिशंसित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में पृथक खसरा नं. से अंकित किये जाने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के आदेश प्रसारित किये जाने हेतु प्राप्त रास्ता प्रस्ताव को शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज.—6/2021पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के अधीन तथा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957

Scanned by CamScanner

के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये तथा प्रस्तावित रास्ता परिपत्र के निर्देशानुसार संबंधित खातेदार के खातेदारी में बने रहने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी धोंद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुरेन्द्र पुत्र भगवानसिंह ने यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर दिनांक 22.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट 1 लगायत 3 आराजी खसरा नम्बर 831 रकबा 6.06 है0 किस्म बारानी द्वितिय वाके ग्राम भूकरो का बास के खातेदार काश्तकार हैं तथा अपीलांट 4 व रेस्पो. 2 व 3 खसरा नं. 942/832 रकबा 3.34 है0 किस्म बारानी द्वितिय वाके ग्राम भूकरो का बास के खातेदार काश्तकार है तथा भूमि पर काबिज व उपयोग व उपभोग कर रहे हैं एवं उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2021 की पालना में तहसीलदार धोंद ने अपीलाण्ट 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 831 रकबा 6.06 है0 को तीन टूकडो में विभाजित करते हुये खसरा नं. 1121/831 रकबा 3.8870 है0 किस्म बारानी द्वितिय, खसरा नं. 1122/831 रकबा 0.1230 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा नं. 1123/831 रकबा 2.0500 है0 किस्म बारानी द्वितिय तथा अपीलाण्ट सं. 4 व प्रोफार्मा रेस्पोडेण्ट सं. 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 942/832 रकबा 3.34 है0 किस्म बारानी द्वितिय को विभाजित करते हुये खसरा नं. 1124/942 रकबा 3.21 है0 किस्म बारानी द्वितिय व खसरा नं. 1125/942 रकबा 0.1300 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में कायम कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित जाकर कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई के अवसर दिये बिना किया गया है जिबकी अपीलांट रिकार्डेड खातेदार कास्तकार हैं भूमि पर उनका कब्जा है। यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य या प्रमाण के नया रास्ता कायम किया है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.16 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है अगर नया रास्ता कायम करवाना हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधि अनुसार सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करना चाहिये था ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2021 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 एक विधिक आदेश है जो कि निर्विवाद है और जो आराजी विवादास्पद रास्ता है वह करीब 50 वर्षो से है जो कि सैटेलाईट नक्शे से स्पष्ट है एवं करीब 1980 ई0 से विवाद में है इसी रास्ते से समस्त ग्रामवासी, विघार्थी, आवागमन के साधन आते–जाते हैं मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया, पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नं. 831 एवं खसरा नं. 942/832 में पूर्व से ही राजस्व नक्शे में डॉटेड लाइन से रास्ता दर्शाया हुआ है। आक्षेपित (IMPUGNED) रास्ता खसरा

Scanned by CamScanner

नं. 942/832 में से पूर्व प्रचलित पूर्व दर्शित रास्ते को ही प्रस्तावित किया गया है परंतु खसरा नं. 831 में पूर्व प्रचलित रास्ते के स्थान पर आक्षेपित (IMPUGNED) रास्ता दर्शाया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड को देखने से यह जाहिर होता है कि खसरा नं. 831 में आक्षेपित रास्ता पूर्व में अंकित रास्ते के अलावा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दर्शित रास्ते के स्थान पर आक्षेपित (IMPUGNED) रास्ता किस प्रकार है यह पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। खसरा नं. 831 में पूर्व नक्शे में उल्लेखित रास्ते के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंण्ट का कथन है कि पूर्व में उल्लेखित डॉटेड रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है तथा अपीलांट द्वारा उस स्थान पर खेती की जा रही है एवं वर्तमान में वही रास्ता प्रचलित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है। परन्तु रिकॉर्ड से यही प्रतीत होता है कि पूर्व रास्ते को बरकरार रखते हुए आक्षेपित रास्ते का आदेश दिया गया है जिससे अपीलांट का खेत तीन भागों में विभाजित नजर आता है।

इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नं. 942/832 मे दर्शित रास्ते के बारे में कोई विवाद नहीं है परंतु खसरा नं. 831 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वर्तमान में प्रचलित रास्ता बताते हुए निर्णय पारित किया गया है उसके साथ–साथ पूर्व में राजस्व नक्शे में दर्शित डॉटेड रास्ते के बारे में भी उल्लेख करना चाहिए था। यदि पूर्व में दर्शित रास्ते के स्थान पर नया रास्ता वर्तमान में प्रचलित है तो पूर्व रास्ते को समाप्त दिखाने के बारे में भी विधिक प्रावधानों के तहत् आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नं. 831 में आक्षेपित (IMPUGNED) रास्ते के साथ–साथ ख.नं. 831 में ही राजस्व नक्शे में पहले से दर्शित डॉटेड रास्ते के बारे में भी अपना निर्णय पारित करने के बारे में रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर एवं मौका देखकर तथा राजस्व नक्शे में खसरा नं. 831 में आक्षेपित (IMPUGNED) रास्ते के साथ–साथ इसी खसरा नं. में पूर्व डॉटेड रास्ते के रूप में अंकित रास्ते के बारे में भी अपना निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर उभयपक्षों को सुनकर एवं मौका देखकर यथासम्भव 15 दिवस में अपना निर्णय पारित करें । इंस सम्बन्ध में सुनवाई हेतु उभयपक्ष उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर के समक्ष दिनांक 27.07.2022 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ.गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर